आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 05of 2017

Dist.:-Patna

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Sri Pankaj Kumar - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :
For the OP :

O R D E R

26.06.2018

प्रस्तुत सेवा अपील वाद श्री पंकज कुमार, सहायक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के विरुद्ध राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्र सं0– 1531 दिनांक– 18.11.2014 द्वारा सचिवालय सहायक अर्द्धवार्षिक परीक्षा, 2014 में कदाचार करते पकड़े जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 15542 दिनांक– 10.11.2016 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

उपर्युक्त प्रतिवदित आरोपों के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप सं0– 18009 दिनांक– 30.12.2014 द्वारा श्री राकेश कुमार को लिखित अभिकथन समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्रीं कुमार द्वारा अपना लिखित अभिकथन दिनांक– 15.05.2015 को समर्पित किया गया।

श्री पंकज कुमार, सहायक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, आरोप पर प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के संगत प्रावधानों

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित 3

के आलोक में आदेश संख्या– 8064 दिनांक– 04.06.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सहमति प्रदान करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम (18)3 के तहत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक– 11057 दिनांक– 12.08.2016 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में श्री राकेश कुमार द्वारा दिनांक– 01.09.2016 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

राजस्व पर्षद द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं साक्ष्य/अभिलेख, आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा परीक्षा में कदाचार करना सरकारी सेवक का अशोभनीय, नियम विरुद्ध एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो (Norms) के प्रतिकूल मानते हुए प्रमाणित अरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत इन्हें निम्नांकित वृहद शास्तियाँ अधिरोपित करने का निर्णय लिया गयाः–

1– अपने वर्त्तमान कालमान वेतन से स्थायी रुप से दो प्रक्रम न्यून्तर वेतन पर प्रत्यावर्तित करने की शास्ति।

2– तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने की शास्ति।

3– देय तिथि से अगले तीन वर्षों तक सभी प्रकार की प्रोन्नति अवरुद्ध करने की शास्ति।

अपीलार्थी द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। लिखित प्रतिवेदन पर सामान्य प्रशासन विभाग से मन्तव्य की माँग की गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कंडिकावार प्रतिउत्तर समर्पित किया गया। जिसका मुख्य अंश है कि– "That

देश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

the officer or employees are supposed to exercise higher standards of honesty and integrity and they have to do nothing which is unbecoming of the State. Good Conduct and discipline are inseparable from functioning of every officer/ employee of the State. But in the instant case, the appellant has tarnished the image of Government's functioning in the State.

Therefor, the punishment which has been awarded to the appellant is just and proper and it is fit to be upheld in the eye of law and in the circumstances of the case."

अपीलार्थी द्वारा विभिन्न तिथियों–26.04.2017, 19.06.2017, 26.07.2017, 31.10.2017, 24.11.2017, 15.12.2017, 24.01.2018, 27.03.2018, 18.04.2018 को उपस्थित होकर समय की मॉग करना न्यायालय का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद करना है। अपीलार्थी के विरूद्ध मूल बात यह है कि वे राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े गये जिनका C.D. की संलग्न है। किसी सरकारी सेवक द्वारा परीक्षा में कदाचार करना एक गंभीर विषय है। सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि आरोपित कर्मी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

26/6/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

26/6/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।